

प्रेषक,

केदार नाथ सिंह,
निदेशक (गव्य) ।

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
औरंगाबाद/पूर्णिया-प्रभारी-अररिया/अरवल/बाँका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/ कटिहार/
लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णिया/पटना/ शेखपुरा/ सीतामढ़ी/
सुपौल/सारण/सिवान/कैमूर(भभुआ)/पि चम चम्पारण/बेगूसराय/ दरभंगा/ समस्तीपुर/
खगड़िया/भोजपुर/गया जी ।

पटना -15, दिनांक-

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में मुख्यशीर्ष,"2404-डेरी विकास-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार
योजनाएँ, विपत्रकोड 02-2404007890101 मॉग संख्या-02, अंतर्गत
विषयशीर्ष-0101.3301-सब्सिडी में CFMS में उपलब्ध राशि के तहत कुल ₹ 3,20,34,750/-
(तीन करोड़ बीस लाख चौतीस हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के राज्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)35/2025-2415,
दिनांक- 02.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के अंतर्गत सभी वर्गों के लिये
कुल ₹0 14,96,77,000/- (चौदह करोड़ छियानवे लाख सतहत्तर हजार रुपये) मात्र के लागत व्यय पर
सब्सिडी के रूप में अनुदान देने हेतु स्वीकृत किया गया है ।

2) वित्तीय वर्ष 2025-26 में "समग्र भैंस पालन योजना" के तहत विषयांकित विपत्रकोड के अंतर्गत सब्सिडी के
रूप में अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना की योजना हेतु ₹ 3,20,35,000/- (तीन
करोड़ बीस लाख पैतीस हजार रुपये) मात्र स्वीकृत किया गया है ।

3) उक्त राज्यादेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत अनुसूचित
जाति वर्ग के सदस्यों के लिये सब्सिडी के रूप में अनुदान पर 01 एवं 02 दुधारु भैंस की डेयरी इकाई की
स्थापना की योजना के क्रियान्वयन हेतु विषयांकित बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत ₹ 3,20,35,000/-
(तीन करोड़ बीस लाख पैतीस हजार रुपये) मात्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को संलग्न विवरणी के
अनुसार निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क्र0	विपत्रकोड 02-2404007890101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी वित्तीय वर्ष 2025-2026 में बजट उपबंध	विपत्रकोड 02-2404007890101 विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी		
		पूर्व आवंटन	वर्त0 आवंटन	कुल योग:-
1.	3,20,35,000/-	0/-	3,20,34,750/-	3,20,34,750/-

4) वर्तमान आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-235 दिनांक
01.04.2025 के आलोक में दिया जाता है । राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेशों का अनुपालन
आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

5) व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष,"2404-डेरी विकास-उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित
जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ, विपत्रकोड
02-2404007890101, मॉग संख्या-02, अंतर्गत विषयशीर्ष- 0101.33.01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष
2025-26 में उपबंधित राशि से होगा ।

(कृ०पृ०ऊ०)

- 6) व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी विपत्र संख्या एवं कोषागार प्रमाणक संख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा पंजी भी संधारित किया जाय।
- 7) विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित (09) नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के संदर्भ में गव्य प्रक्षेत्र की स्वीकृत विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचित सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को लक्ष्य अनुरूप राशि आवंटित किया गया है। फलस्वरूप विभागीय राज्यादेश संख्या-4345, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में नव सृजित (09) नौ जिला गव्य विकास कार्यालय के क्रियाशील होने के पश्चात् संदर्भित योजना अन्तर्गत आवंटित राशि के व्यय उपरांत अव्यवहृत राशि को संबंधित नौ जिला गव्य विकास कार्यालय को हस्तांतरित/अंतरित कर दिया जाय।
- 8) निकासी की गई राशि की विवरणी तथा कोषागार प्रमाणक संख्या तिथि के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय एवं पंजी भी संधारित करें। साथ ही त्रैमासिक व्यय विवरणी एवं मासिक व्यय विवरणी(CFMS प्रणाली में सृजित Monthly Expenditure Report एवं Report of Availability of Allotment की प्रति सहित) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 9) प्रस्ताव में सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं संबंधित जिला पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- / पटना -15, दिनांक:-
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/अररिया/अरवल/बौका/गोपालगंज/जमुई/किशनगंज/कटिहार/लखीसराय/मधुबनी/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/नवादा/पूर्णिया/पटना/शेखपुरा/सीतामढ़ी/सुपौल/सारण/सिवान/कैमूर/प0चंपारण/बेगुसराय/दरभंगा/समस्तीपुर/खगड़िया/गया जी एवं भोजपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक (गव्य)

ज्ञापांक-गव्य (आ0-07) 02/2025- 47(आ0) / पटना -15, दिनांक:- 12/01/2026
प्रतिलिपि-अनुलग्नक के साथ प्रबंधक (आई0टी0), डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.01.26
निदेशक (गव्य)

-: विवरणी :-

बजट शीर्ष: "2404- डेरी विकास-राज्य स्कीम-102-डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिये विशेष धटक योजना, उप शीर्ष-0101-ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएँ, मांग संख्या-02, विपत्रकोड 02-2404007890101 के विषयशीर्ष-0101.33.01-सब्सिडी मद में राज्यस्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में समग्र भैंस पालन योजना के अंतर्गत 01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना पर अनुदान हेतु कुल ₹ 3,20,34,750/- (तीन करोड़ बीस लाख चौतीस हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र की राशि का आवंटन :-

	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	01 एवं 02 दुधारू भैंस की डेयरी इकाई की स्थापना हेतु आवंटन (रु० में)		कुल योग(रुपये में)	
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन
1	2	3	4	5	6
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद	0	1996500	0	1996500
2	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ, प्रमारी-अररिया	0	816750	0	816750
3	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अरवल	0	1452000	0	1452000
4	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बाँका	0	1815000	0	1815000
5	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गोपालगंज	0	1815000	0	1815000
6	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जमशुई	0	726000	0	726000
7	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, किशनगंज	0	726000	0	726000
8	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कटिहार	0	726000	0	726000
9	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, लखीसराय	0	726000	0	726000
10	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी	0	726000	0	726000
11	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	0	1633500	0	1633500
12	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मुंगेर	0	726000	0	726000
13	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नालन्दा	0	1452000	0	1452000
14	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, नवादा	0	726000	0	726000
15	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ	0	816750	0	816750
16	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना	0	2178000	0	2178000
17	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, शेखपुरा	0	726000	0	726000
18	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी	0	2178000	0	2178000
19	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सुपौल	0	907500	0	907500
20	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सारण	0	1542750	0	1542750
21	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सीवान	0	816750	0	816750
22	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	0	1089000	0	1089000
23	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया)	0	1361250	0	1361250
24	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, बेगूसराय	0	726000	0	726000
25	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, दरभंगा	0	726000	0	726000
26	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर	0	726000	0	726000
27	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, खगड़िया	0	726000	0	726000
28	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)	0	726000	0	726000
29	जिला गव्य विकास पदाधिकारी, गया जी	0	726000	0	726000
कुल योग :-		0	32034750	0	32034750

(रुपये तीन करोड़ बीस लाख चौतीस हजार सात सौ पचास) मात्र

निदेशक (गव्य)